वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री और संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० अबरार अहमद) : (क) सरकार ने अपने विभागों को विदेशी बैंकों में धन जमा करने की न तो अनुमति दी है और न ही अनुमति देने का प्रस्ताव है।

(ख) प्रश्न पैदा ही नहीं होता।

Circulation of Black Money

1610. SHRI ANANT RAM JAISWAL : Will the Minister of FINANCE be pleased to state :

(a) what is the amount of black money which is in circulation in the country and the unaccounted amount locked abroad illegally as on the 1st January, 1993;

(b) whether Government intend to combat the menace of black money by introducing a simple, just and equitable tax system and other measures;

(c) whether any action plan is under consideration for giving some incentives so that money held abroad illegally by resident Indians flows back into the country: and

(d) if the answers to parts (b) and (c) above be in the affirmati the details thereof ?

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF FINANCE (SHRI M. V. CHANDRASEKHAR MURTHY) : (a) There is no official estimate of the amount of black money in circulation in the country and the unaccounted amount locked abroad illegally.

(b) to (d) Combating tax evasion and curbing the generation of black money is a continuous exercise. The Government takes necessary legislative, fiscal and administrative measures as demeed appropriate from time to time to curb the generation and growth of black money. The measures taken by the Government to liberalise the FERA rules such as full convertibility of rupee and other relaxations are likely to be instrumental in flowing back of the money held abroad illegally by resident Indians.

बैंक ऋणों की वसूली

1611. **श्री सोमपाल** : क्या **वित्त** मंत्री 23 फरवरी, 1993 को राज्य सभा में अतारंकित प्रश्न 67 के दिये गये उत्तर को देखेंगे और यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा दिए गए ऋणों की ऐसी कुल कितनी राशि बकाया है जिसकी वसूली अभी तक नहीं हो पाई है ;

(ख) क्या सरकार इन बकाया राशियों की शीघ्र वसूली के लिए एक विशेष न्यायाधिकरण की स्थापना करने का विचार कर रही है ;

(ग) यदि हां, तो इसका गठन कब तक कर दिये जाने का संभावना है ;

(घ) क्या इन राशियों को बैंकों के अंतिम खातों में एक अलग मद के रूप दिखाया जायेगा;

(ङ) यदि नहीं, तो क्या सरकार बैंकों को ऐसा करने के लिए निर्देश देगी; और

(च) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री और संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० अबरार अहमद) : (क) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायेगी।

(ख) और (ग) सरकार ने निर्दिष्ट सीमा के अधिक की बैंकों और वित्तीय संस्थाओं को देय राशियों की वसूली के लिए विशेष अधिकरण स्थापित करने का निर्णय किया है।

(घ) से (च) तुलन पत्र और लाभ-हानि लेखा के वर्तमान प्रारूप में अब तक वसूल न की गई बकाया राशियों की अलग से जानकारी नहीं मांगी गयी है।